

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

सं0सं0-02 / परी0-09(को0प्र0)-02 / 2017-51/अ३७

प्रेषक,

संजीव कुमार,
उप सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक- 03-01-2025

विषय:- बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के लिए दो सप्ताह के कोषागार प्रशिक्षण के संबंध में।

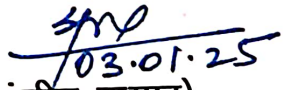
प्रसंग:- बिहार गजट असाधारण अंक अधिसूचना संख्या-1249 दिनांक-30.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के लिए दो सप्ताह के कोषागार प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया है। जो बिहार गजट के असाधारण अंक अधिसूचना संख्या-1249 दिनांक-30.12.2024 में अधिसूचित है।

अतः अनुरोध है कि अन्य सेवाओं की तरह बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के लिए दो सप्ताह के कोषागार प्रशिक्षण संबंधित कार्रवाई कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,


03.01.25
(संजीव कुमार)
उप सचिव,

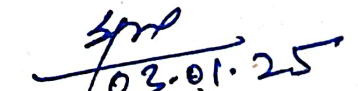
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

ज्ञापांक:-02 / परी0-09(को0प्र0)-02 / 2017-51

पटना, दिनांक- 03-01-2025

प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार के आप्त सचिव / अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार / सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार के कोषांग / प्रशाखा पदाधिकारी
(परीक्षा) राजस्व पर्षद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-बिहार गजट की प्रति।


03.01.25
(संजीव कुमार)
उप सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना